न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 298/2024

अनवान : –

1. सन्तोष शर्मा पुत्री श्यामलाल उर्फ श्यामसुन्दर पत्नी अनिल कुमार जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर हाल निवासी राणिया तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

– वादीया

बनाम्

1. बीना देवी पुत्री श्यामलाल उर्फ श्यामसुन्दर पत्नी राकेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर हाल निवासी भिवानी हरियाणा।
2. ममता पुत्री श्यामलाल उर्फ श्यामसुन्दर पत्नी तिलराज जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर हाल निवासी न्यू रोशनपुरी शिवनगर नजफगढ़ साउथ वेस्ट दिल्ली
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 16/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 165/151 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि श्यामलाल उर्फ श्यामसुन्दर पुत्र मनभरी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वादी वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के पिता के नाम दर्ज है। वादीया के पिता श्यामलाल उर्फ श्यामसुन्दर पुत्र मनभरी का स्वर्गवास हो चुका है श्यामलाल उर्फ श्यामसुन्दर पुत्र मनभरी के देहान्त के जायज वारिसान वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 है जो की हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि पर वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब काबिज है। जिसकी वादीया न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर [illegible] की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे [illegible] रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण श्यामलाल उर्फ श्यामसुन्दर, सदस्य प्रमाण पत्र बाबत वारिसान आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता के नाम दर्ज है। वादी के पिता वादीया के पिता श्यामलाल उर्फ श्यामसुन्दर पुत्र मनभरी का स्वर्गवास हो चुका है श्यामलाल उर्फ श्यामसुन्दर पुत्र मनभरी के देहान्त के जायज वारिसान वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 है जो की हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि पर वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 165/151 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि श्यामलाल उर्फ श्यामसुन्दर पुत्र मनभरी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीया का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के पिता के नाम दर्ज है। वादीया के पिता श्यामलाल उर्फ श्यामसुन्दर पुत्र मनभरी का स्वर्गवास हो चुका है श्यामलाल उर्फ श्यामसुन्दर पुत्र मनभरी के देहान्त के जायज वारिसान वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 है जो की हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि पर वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब काबिज है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक श्यामलाल उर्फ श्यामसुन्दर के अन्य कोई भी वारिसा नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीया एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 165/151 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि श्यामलाल उर्फ श्यामसुन्दर पुत्र मनभरी का नाम कलमजन किया जाकर 1/6 हिस्सा भूमि का वादीया को एवं 1/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को एवं 1/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:24 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 298/2024
अनवान : –

1. सन्तोष शर्मा पुत्री श्यामलाल उर्फ श्यामसुन्दर पत्नी अनिल कुमार जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर हाल निवासी राणिया तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

– वादीया

बनाम्

1. बीना देवी पुत्री श्यामलाल उर्फ श्यामसुन्दर पत्नी राकेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर हाल निवासी भिवानी हरियाणा।
2. ममता पुत्री श्यामलाल उर्फ श्यामसुन्दर पत्नी तिलराज जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर हाल निवासी न्यू रोशनपुरी शिवनगर नजफगढ़ साउथ वेस्ट दिल्ली
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 298 सन 2024 निर्णय दिनांक –16/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री राजपाल झोरड़ एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 165/151 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि श्यामलाल उर्फ श्यामसुन्दर पुत्र मनभरी का नाम कलमजन किया जाकर 1/6 हिस्सा भूमि का वादीया को एवं 1/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को एवं 1/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:24 IST
Reason: SelfAttested